



# उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

मंगलवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1944  
(06 दिसम्बर, 2022)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

अनन्तिम  
रूप से

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक को सदन की मेज पर रखेंगे :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022  
(श्री अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।)

3-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपटित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को सदन की मेज पर रखेंगे।

(सन्देश के लिए देखिये नत्थी 'ख')

4-प्रमुख सचिव, विधान परिषद् घोषणा करेंगे कि :-

(1) सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को

प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2022 ई0 का नवां अधिनियम बना।

- (2) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2022 ई0 का दसवां अधिनियम बना।
- (3) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2022 ई0 का ग्यारहवां अधिनियम बना।
- (4) उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2022 ई0 का बारहवां अधिनियम बना।

5-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2022) को सदन की मेज पर रखेंगे।

6-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2022) को सदन की मेज पर रखेंगी।

7-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2022) को सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1007/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-200-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(253)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1008/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-201-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(254)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

10-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1009/ग्यारह-2-22-9(42)-17-टी0सी0-61-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(255)-2022, दिनांक

17 नवम्बर, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

11-समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2014 (उप लो0 आ0) दिनांक 25 फरवरी, 2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

12-वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2016-2017 एवं वार्षिक लेखा विवरण 2017-2018 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23 की उपधारा-5(क) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

13-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 एवं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 को विलम्ब के कारणों सहित भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-77 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

14-समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीब व कमजोर लोगों के बच्चों को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जीरो बैलेन्स फीस पर प्रवेश दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-वित्त मंत्री, प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16-गन्ना विकास मंत्री, प्रदेश के गन्ना किसानों की आर्थिक दशा एवं उनकी आय वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री शाहनवाज खान, लाल बिहारी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, (डा0) मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, मुकुल, नरेश चन्द्र उत्तम व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गौंड व खरबार जाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में पंजीकृत होने के बाद भी जनपद के अधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र उत्तम, सदस्य, विधान परिषद् व डा0 राजपाल कश्यप, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-नगर विकास मंत्री, जनपद-कानपुर नगर की तहसील-घाटमपुर में नगर पालिका परिषद् द्वारा मदरसा इस्लामिया इण्टर कालेज के क्षतिग्रस्त किये गये 12 कक्षों में हुई हानि की प्रतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-ऊर्जा मंत्री, जनपद-कानपुर नगर के मोहल्ला-नारायण देवता बिहारी पुरवा जरौली ग्राम के घरों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-हरदोई, रायबरेली एवं बाराबंकी के राजकीय विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को पक्के मार्ग बनाकर मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश द्विवेदी व इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

21-नगर विकास मंत्री, जनपद-भदोही में 1857 के क्रांतिकारी नायक रहे पर्वत शहीद झूरी सिंह के नाम से ज्ञानपुर से दुर्गागंज तक रोड का नामकरण व दिशा-निर्देश बोर्डों पर उनके नाम से कराने तथा राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिये जाने के साथ ही अमर शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-अमेठी, ब्लाक-भेटुआ में ग्राम सभा-पिण्डोरिया भेटुवा से भीमी तक क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मतकरण का कार्य कराये

जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-नगर विकास मंत्री, जनपद-कानपुर नगर के अन्तर्गत विनायकपुर से न्यू सिविल लाइन्स होते हुये गुरुदेव सिनेमा तक सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-मुख्य मंत्री, डालीबाग कालोनी, लखनऊ की 04 नम्बर बिल्डिंग में सीलन, बाहरी दीवारों एवं छज्जों के टूट कर गिरने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-नगर विकास मंत्री, जनपद-शाहजहांपुर के नगर पालिका पुवावां के डूडा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये गये आवासों में भ्रष्टाचार एवं गरीब परिवार को स्वीकृति के नाम पर नामित एजेंसी द्वारा धन दोहन किये जाने के सम्बन्ध में डा० सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-जौनपुर के विकास खण्ड-बरसठी सोनाई-उमरन मार्ग पर बसुही नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्या सागर सोनकर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा विधायक निधि 2021-2022 के अन्तर्गत लगाई जाने वाली सोलर लाइटों को समय से न लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-लोक निर्माण मंत्री, कानपुर-झांसी एन०एच०-27 पर पड़ने वाले जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र के नबीपुर गजनेर मार्ग के सामने अण्डर पास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में व्याप्त ऊमर बनिया जाति को आरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

30-मुख्य मंत्री, जनपद-मेरठ अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों की संख्या में भारी वृद्धि होने के सम्बन्ध में श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

31-वित्त मंत्री, प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 01-04-2005 से पूर्व चयनित एवं सेवारत शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

32-श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बर्थरागंग बरार, मौजा चिरईगांव, विकास खण्ड-उगापुर, जनपद-वाराणसी के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

33-श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-शाहंशाहपुर, विकास खण्ड-आराजी लाइन, राजातालाब, जनपद-वाराणसी के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

34-डा० मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-चिल्लाह, ब्लॉक-तिंदवारी, तहसील-पैलानी, जनपद-बाँदा के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

35-डा० मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-चिल्ला नई बस्ती,

ब्लाक-तिंदवारी, तहसील-पैलानी, जनपद-बाँदा के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

36-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत नगर पालिका महमूदाबाद, विकास खण्ड-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से बाईपास सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

37-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बेरसापुर, अटरिया, विकास खण्ड-सिधौली, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

38-डा० मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बढ़ाकलाँ, विकास खण्ड-इगलास, जनपद-अलीगढ़ के निवासियों की ओर से अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

39-डा० मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बढ़ाकलाँ, विकास खण्ड-इगलास, जनपद-अलीगढ़ के निवासियों की ओर से तालाब में त्रिस्तरीय फिल्टरेशन चेम्बर, चारों ओर पक्की पटरी व सीढ़ीनुमा तालाब का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

40-श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत पिलखुआ-धौलाना मार्ग, जनपद-हापुड़ के निवासियों की ओर से फर्नेस रोड-बम्बा सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ट')

41-श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत गली नम्बर-2, मोदीनगर, कृष्णा नगर, जनपद-गाजियाबाद के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ठ')

42-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-आंट गढ़ी सौरा, विकास खण्ड-माल, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

43-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-ऐन, विकास खण्ड-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से ऐन से बबुरी तक सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ढ')

44-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कुदारी, विकास खण्ड-कोच, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ण')

45-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सिमिरिया, विकास खण्ड-महरौनी, जनपद-ललितपुर के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'त')

46-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा (राजस्व ग्राम-नवली), ब्लाक-तहबरपुर, तहसील-निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ के



निवासियों की ओर से 28 एकड़ तालाब की जमीन को अवमुक्त कराकर जल संरक्षण हेतु पोखर खुदवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'थ')

47-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा, ब्लाक-तहबरपुर, तहसील-निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से 08 एकड़ पोखरा व भीटा की जमीन को अवमुक्त कराकर अमृत सरोवर बनवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'द')

48-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत मोहल्ला-अजीत नगर, वार्ड नम्बर-1, जनपद-इटावा के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ध')

49-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत बुद्ध विहार कालोनी, ऊसरा अड्डा रोड, निकट गंगा उत्सव गार्डन, जनपद-इटावा के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'न')

50-श्री यशवन्त, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-लौदह इमादपुर, पोस्ट-दामा, विकास खण्ड-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से पोखरा नम्बर-1568 का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'प')

51-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नगला, विकास खण्ड-पलिया, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से जल-भराव एवं अन्य समस्याओं का निराकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'फ')

52-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि :-

(1) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपटित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

(2) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

53-वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा।

अनन्तिम  
रूप से

54-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

अनन्तिम  
रूप से

55-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

लखनऊ :

मंगलवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1944

(06 दिसम्बर, 2022)

आज्ञा से,

**डा0 राजेश सिंह,**

प्रमुख सचिव।

06 दिसम्बर, 2022

विधान परिषद् के तृतीय सत्र (2022) का प्रथम मंगलवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
*1	14-11-2022
*2	14-11-2022
*3	14-11-2022
*4	14-11-2022
*5	18-11-2022
*6	18-11-2022
*7	18-11-2022
*8	18-11-2022
*9	18-11-2022
*10	18-11-2022
*11	18-11-2022
*12	23-11-2022



### अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
1	14-11-2022
2	14-11-2022
3	14-11-2022
4	16-11-2022
5	16-11-2022
6	16-11-2022
7	16-11-2022
8	16-11-2022
9	16-11-2022
10	16-11-2022
11	16-11-2022
12	17-11-2022
13	17-11-2022
14	17-11-2022
15	17-11-2022
16	18-11-2022
17	18-11-2022
18	18-11-2022
19	18-11-2022
20	23-11-2022
21	23-11-2022

## नत्थी 'क'

मंगलवार, दिनांक 06 दिसम्बर, सन् 2022 ई0

### तारांकित प्रश्न

देशी शराब के निर्माण व बिक्री में संतुलन बनाने हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर

1

\*1-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि देशी शराब को बनाने व बेचने की जिम्मेदारी सरकार के नियंत्रण में है ?

(ख) यदि हाँ, तो देशी शराब बनाने पर आने वाली लागत के अनुसार विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है ?

(ग) यदि हाँ, तो देशी शराब के एक 200 एम0एल0 के पाउच की लागत कितनी आती है एवं उसके बिक्री की कीमत क्या है ?

(घ) क्या देशी शराब के निर्माण व बिक्री में संतुलन बनाने हेतु नीति बनाने पर विचार करेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

**प्रयागराज व झाँसी मण्डल में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में दी जा रही विधवा, वृद्धा व विकलांग पेंशन के सम्बन्ध में**

डा0 मान सिंह यादव

2

\*2-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज व झाँसी मण्डल में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विधवा, वृद्धा व विकलांग पेंशन दिये जाने के कितने नये आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है ?

समाज कल्याण  
राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जनपद-वाराणसी के पंचकोशी मार्ग पर स्थित शराब की दुकान को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री आशुतोष सिन्हा

3

\*3-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी के पंचकोशी मार्ग पर स्थित शराब की दुकान बन्द करायेंगे ?

आबकारी राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी

4

\*4-[मा0 मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित]

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

5

\*5-[अन्तरित]

**प्रदेश के अन्दर जहरीली शराब से हो रही मौतों की घटनाओं की रोक-थाम हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में**

डा0 मान सिंह यादव

6

\*6-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के अन्दर जहरीली शराब से हो रही मौतों की घटनाओं की रोक-थाम हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

आबकारी राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निवास करने वाली बैगा सपेरा जाति का एक ही प्रमाण-पत्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर  
7

\*7-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में बैगा सपेरा जाति निवास करती है ?

समाज कल्याण  
राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो किस-किस जनपद में निवास करती है ?

(ग) क्या बैगा सपेरा जाति के अलग-अलग जनपद में अलग-अलग जाति वर्ग के प्रमाण-पत्र बनाये गये हैं ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उनके सभी जिलों में एक ही जाति वर्ग के प्रमाण-पत्र बनवायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

**सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में**

श्री आशुतोष सिन्हा  
8

\*8-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि सरकार प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**बस्ती मण्डल में एकाएक भारी वर्षा एवं बाढ़ से हुये नुकसान की भरपायी हेतु किसानों को बीमा की धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी  
9

\*9-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि पूर्वांचल में एकाएक भारी वर्षा एवं बाढ़ से हुये नुकसान की भरपायी हेतु किसानों की फसलों का बीमा कराया गया है ?

कृषि मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो बस्ती मण्डल में कितने किसानों की फसलों का बीमा कराया गया और अब तक बीमा कम्पनियों द्वारा कृषकों को बीमा की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

**उत्तर प्रदेश में नगर निगम क्षेत्र अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर में धार्मिक स्थानों पर बनी देशी शराब के ठेके की दुकानों को अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर  
10

\*10-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी देशी शराब के ठेकों की दुकानें संचालित हैं ?

आबकारी राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो नगर निगम क्षेत्र अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर में कितने देशी शराब के ठेके संचालित हैं ?

(ग) क्या कुछ ठेके ऐसे धार्मिक स्थानों पर हैं जहाँ सामाजिक वातावरण प्रभावित होता है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) क्या उक्त का विवरण उपलब्ध करायेंगे ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जनपद-अयोध्या में स्थापित एवं संचालित नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में सभी स्तर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी  
11

\*11-(क) क्या कृषि शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-अयोध्या में स्थापित एवं संचालित नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में सभी स्तर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के कितने पद सृजित हैं और अब तक कितने पद रिक्त चल रहे हैं ?

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री

(ख) क्या उक्त रिक्त पदों पर शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करायेंगे ?

श्री आशुतोष सिन्हा  
12

\*12-[वित्तीय, प्रशासकीय एवं विलम्ब समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

### अतारंकित प्रश्न

श्री भीमराव अम्बेडकर  
1

1-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम गजराजखेड़ा, पो0-सन्दाना, ब्लाक-हिलौली, तह0-पुरवा, जनपद-उन्नाव में पुरानी वृद्धावस्था पेंशन आवेदन संख्या-313112064731, 313111870751 व 31311039694 की माह जून/जुलाई, वर्ष 2022 में पेंशन रोक दी गयी थी ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पेंशन रोके जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) उक्त पेंशन को आवेदनकर्ताओं के खाते में भेजते हुए भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर

2

2-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन सी जातियाँ अनुसूचित जनजाति में दर्ज हैं और वे किस-किस जनपद में रहती हैं ?

(ग) क्या बैगा सपेरा जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज करने पर विचार करेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण  
राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

श्री भीमराव अम्बेडकर

3

3-(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में खादी वस्त्रों का निर्माण होता है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी लागत कीमत अधिक आने के कारण बिक्री पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद देकर छूट दी जाती है ?

(ग) यदि हाँ, तो दिनांक 1 मई, 2022 से 15 अक्टूबर, 2022 तक कितनी आर्थिक मदद दी गई, उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) क्या खादी वस्त्र निर्माण में लगे कर्मकारों को भी आर्थिक मदद का लाभ देने पर विचार करेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग  
मंत्री

डा० मान सिंह यादव

4

4-(क) क्या युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत गायघाट, ब्लाक चकिया, जनपद चन्दौली में गेम सेन्टर (खेलकूद) का निर्माण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2022 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

युवा कल्याण  
राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

श्री भीमराव अम्बेडकर

5

5-(क) क्या युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि युवाओं के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए 'क्रीड़ा स्थल' का निर्माण कराया जा रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम पंचायत स्तर पर क्रीड़ा मैदान व भवन बनाये जा रहे हैं ?

युवा कल्याण  
राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

- (ग) यदि हाँ, तो कितनी पंचायतों में क्रीड़ा मैदान व भवन स्वीकृत किये गये हैं ?
- (घ) उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?
- (ङ) क्या उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में क्रीड़ा मैदान व भवन बनवायेंगे ?
- (च) यदि हाँ, तो कब तक ?
- (छ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री भीमराव अम्बेडकर 6- (क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सभी कक्षा की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है ? समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- 6
- (ख) यदि हाँ, तो शिक्षा सत्र 2022-2023 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?
- (ग) क्या पर्याप्त धनराशि के अभाव में कुछ छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई है ?
- (घ) यदि हाँ, तो पर्याप्त धनराशि आवंटित कर पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति करायेंगे ?
- (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?
- (च) यदि नहीं, तो क्यों ?
- डा० मान सिंह यादव 7- (क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि को दिये जाने हेतु कब तक आवेदन किया गया है ? कृषि मंत्री
- 7
- (ख) उक्त का लाभ उनमें से कितने लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है ?
- (ग) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री भीमराव अम्बेडकर 8- (क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग निर्बल आय वर्ग के लोगों को पेंशन जारी करता है ? समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- 8
- (ख) यदि हाँ, तो कितने प्रकार की पेंशन जारी की जा रही है ?
- (ग) क्या अलग-अलग प्रकार की श्रेणी के सभी पात्र व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत की गई है ?



- (घ) यदि नहीं, तो सभी प्रकार की श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करायेंगे ?
- (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?
- (च) यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री आशुतोष सिन्हा 9  
9
- 9-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में वर्ष 2021 में कोई क्रीड़ा स्थल (खेलकूद का स्थान) का निर्माण कराया गया है ?
- खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?
- (ग) यदि नहीं, तो जनपद-वाराणसी में वर्ष 2022 में कोई क्रीड़ा स्थल का निर्माण करायेंगे ?
- (घ) यदि हाँ, तो कब तक ?
- डा० मान सिंह यादव 10  
10
- 10-(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कौशाम्बी एवं हमीरपुर में उक्त विभाग के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य किये गये हैं ?
- व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- (ख) उक्त किये गये कार्यों का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?
- (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री आशुतोष सिन्हा 11  
11
- 11-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद-सोनभद्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण हेतु क्या-क्या लक्ष्य है ?
- समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?
- (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री भीमराव अम्बेडकर 12  
12
- 12-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा व अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति दी जाती है ?
- समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- (ख) यदि हाँ, तो शिक्षा सत्र 2022-2023 के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है एवं क्या आवंटित की गई धनराशि आवश्यकता से कम होने के कारण अभी काफी छात्रों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति लम्बित है ?
- (ग) यदि हां, तो शेष धनराशि का आवंटन कब तक करायेंगे ?
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर  
13

13-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में देशी शराब को सरकारी टेकों द्वारा दुकान खुलवा कर बेचा जाता है ?

आबकारी राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो जिस तरह शराब बेचने वाले को शराब बेचने का लाइसेंस जारी किया जाता है, ठीक उसी तरह शराब खरीदने व पीने वालों का भी लाइसेंस जारी करेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर  
14

14-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में देशी शराब बेचने के लिए टेका व लाइसेंस जारी करने में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है ?

आबकारी राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को कितने प्रतिशत शराब बेचने के लिए दुकानों का आवंटन किया गया है, उतने ही प्रतिशत उन्हें शराब पीने का कोटा निर्धारण करेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव  
15

15-(क) क्या कृषि विपणन मंत्री बतायेंगे कि जनपद बलिया में तहसील एवं विकास खण्ड बैरिया के श्रीनगर-रेवती लिंक मार्ग (कोल नाला से दल छपरा रेलवे स्टेशन तक) लम्बाई लगभग 4 किमी0 जर्जर अवस्था में है (जिला परिषद् मण्डी समिति विभाग से निर्माण कराया गया है) जिस कारण राहगीरों/क्षेत्रीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

कृषि विपणन एवं  
कृषि विदेश व्यापार  
राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी  
16

16-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि पूर्वांचल में भारी एकाएक वर्षा एवं बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु किसानों की फसलों का बीमा कराया गया ?

कृषि मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो देवीपाटन मण्डल में कितने किसानों की फसलों का बीमा कराया गया और अब तक बीमा कम्पनियों द्वारा कृषकों को बीमा की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

- श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी  
17
- 17-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि पूर्वांचल में भारी एकाएक वर्षा एवं बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु किसानों की फसलों का बीमा कराया गया ?
- (ख) यदि हाँ, तो गोरखपुर मण्डल में कितने किसानों की फसलों का बीमा कराया गया और अब तक बीमा कंपनियों द्वारा कृषकों को बीमा की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?
- श्री भीमराव अम्बेडकर  
18
- 18-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के कितने कर्मचारी अपनी वरिष्ठता सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करके ए0सी0पी0 (सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन) स्वीकृत करने पर विचार करने हेतु दिनांक 01-01-2022 को अर्ह हो गये थे ?
- (ख) उक्त कर्मियों में से वर्ष 2022 में हुई ए0सी0पी0 समिति की बैठक में कितने कर्मियों के नामों पर विचार किया गया एवं कितने कर्मियों पर विचार नहीं किया गया ?
- (ग) क्या उक्त शेष कर्मियों को ए0सी0पी0 देने पर विचार करेंगे ?
- (घ) यदि हाँ, तो कब तक ?
- (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री भीमराव अम्बेडकर  
19
- 19-(क) क्या मद्य निषेध मंत्री बतायेंगे कि शराब पीने के ऐसे आदी लोगों को शराब की लत से मुक्ति के लिए सरकार प्रयास करती है, जिनका स्वयं का जीवन व उनके परिवार का जीवन संकटग्रस्त हो रहा है ?
- (ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश में जनपदवार दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक कितने लोगों को शराब की लत से मुक्ति दिलाई गई, उनका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?
- (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री भीमराव अम्बेडकर  
20
- 20-(क) क्या मद्य निषेध मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए पूर्ण शराब बन्दी हेतु जनप्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2022 में ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं ?
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?
- कृषि मंत्री
- मुख्य मंत्री
- मद्य निषेध राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)
- मद्य निषेध राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ग) क्या समाज के हित में पूर्ण शराब बन्दी करने की घोषणा करेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मान सिंह यादव

21

21-(क) क्या युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-सलेमपुर पतौरा, ब्लाक-काकोरी, जनपद-लखनऊ में स्कूली बच्चों/ग्रामीण नवयुवकों हेतु खेलकूद का मैदान/स्थान है ?

युवा कल्याण  
राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

# नत्थी 'ख'

आनंदीबेन पटेल  
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश



राज भवन  
लखनऊ - 226 027

अक्टूबर 13, 2022

## सन्देश

चूकि, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 राज्य विधान मण्डल से पारित कराये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा श्री राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त विधेयक द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-15 व 28 में कतिपय संशोधन किया जाना प्रस्तावित था।

और चूकि, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कतिपय संशोधनों के साथ पुरःस्थापित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त विधेयक को वापस लिये जाने का भी विनिश्चय मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा किया गया है।

अतएव मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपटित अनुच्छेद-200 के अधीन उक्त विधेयक की मूल पार्चमेन्ट प्रतियां सदन को वापस करते हुये यह सन्देश देती हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को वापस लिये जाने की वांछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन यथोचित समय पर पुनर्विचार करें।

आनंदीबेन पटेल

श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह,  
मा0 सभापति, विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

-----





## नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-वाराणसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-उगापुर, ग्राम-बर्थरागंज बरार, मौजा चिरईगांव में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे हम सब ग्रामवासी ग्राम बर्थरागंज बरार, मौजा चिरईगांव के निवासी हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव में विद्युत लाइन न होने के कारण गांव के लोगों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य को कराये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता/ग्रामीणों द्वारा लगातार स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-बर्थरागंज बरार, मौजा चिरईगांव में विद्युतीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-वाराणसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-आराजी लाइन, राजातालाब, ग्राम-शाहंशाहपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे हम सब ग्रामवासी ग्राम-शाहंशाहपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-आराजी लाइन, राजातालाब के निवासी हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि जनहित को देखते हुये शाहंशाहपुर गांव में विद्युतीकरण न होने के कारण ग्रामीणों/किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-शाहंशाहपुर में विद्युतीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-बांदा के अन्तर्गत तहसील-पैलानी, विकास खण्ड-तिंदवारी, ग्राम-चिल्ला में चिल्ला बाईपास मेन रोड से विशाली के डेरा तक लगभग 200 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-चिल्ला, ब्लाक-तिंदवारी, तहसील-पैलानी, जनपद-बांदा के निवासी हैं। आपको अवगत कराना है कि गांव में चिल्ला बाईपास के पास मेन रोड से विशाली के डेरा तक



200 मीटर सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। गांव के लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन से सड़क मार्ग बनाये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-बांदा के अन्तर्गत तहसील-पैलानी, ब्लाक-तिंदवारी, ग्राम-चिल्ला नई बस्ती में चिल्ला (बांदा मार्ग) पर स्थित पड़ाव के डेरा, मेन रोड से मुर्तजा फारुकी के घर तक लगभग 100 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी गांव-चिल्ला नई बस्ती के मूल निवासी हैं। आपको अवगत कराना है कि गांव चिल्ला बांदा मार्ग पर स्थित पड़ाव के डेरा में मेन रोड से मुर्तजा फारुकी के घर तक लगभग 100 मी0 सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। उक्त कार्य को कराये जाने हेतु गांव के लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-महमूदाबाद में लखनऊ रोड से पैतेपुर रोड तक बाईपास का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर के निवासी हैं। नगर पालिका महमूदाबाद में लखनऊ रोड से पैतेपुर रोड तक बाईपास हेतु भूमि अधिग्रहण एवं मिट्टी पटाई कार्य लगभग 10 वर्ष पूर्व ही करा दिया गया था आज तक वह बाईपास का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, शहर के अन्दर प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है। उक्त बाईपास का निर्माण न होने के कारण लखनऊ से आवागमन करने वाले यात्री को काफी असुविधाएं होती हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि विकास खण्ड-महमूदाबाद में लखनऊ रोड से पैतेपुर रोड तक बाईपास का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-सिधौली में बेरसापुर धरावां मार्ग से बालेश्वर महादेव मन्दिर तक लगभग 01 कि०मी० सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण बेरसापुर अटरिया के निवासी हैं। हमारे गांव में बालेश्वर महादेव मन्दिर तक रास्ता अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण श्रद्धालुओं को मार्ग पर चलने में काफी असुविधाएं

होती हैं। वहां के लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-इगलास के ग्राम-बढ़ाकलॉ में सार्वजनिक अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-बढ़ाकलॉ, विकास खण्ड-इगलास, जनपद-अलीगढ़ के निवासी हैं। ग्राम बढ़ाकलॉ में सार्वजनिक अन्त्येष्टि स्थल का पक्का व सुव्यवस्थित निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-बढ़ाकलॉ में सार्वजनिक अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'अ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-इगलास के ग्राम-बढ़ाकलों से सटे तालाब में त्रिस्तरीय फिल्टरेशन चेम्बर तथा तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-बढ़ाकलों के मूल निवासी हैं। ग्राम बढ़ाकलों से सटे तालाब में त्रिस्तरीय फिल्टरेशन चेम्बर तथा तालाब के चारों ओर पक्की पटरी व सीढ़ीनुमा तालाब बनाये जाने हेतु जनहित में नितांत आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-बढ़ाकलों से सटे तालाब में त्रिस्तरीय फिल्टरेशन चेम्बर तथा तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'ट'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-हापुड़ के अन्तर्गत पिलखुआ-धौलाना मार्ग से फर्नेस रोड-बम्बा सम्पर्क मार्ग पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-हापुड़ के निवासी हैं। पिलखुआ-धौलाना मार्ग पर फर्नेस रोड बम्बा सम्पर्क मार्ग तक सड़क बहुत क्षतिग्रस्त स्थित में है। सड़क पर गड्ढा बचाने के चक्कर में दुर्घटना की

संभावना भी बनी रहती है। उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-हापुड़ में पिलखुआ-धौलाना मार्ग से फर्नेस रोड-बम्बा सम्पर्क मार्ग पर सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'ठ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-गाजियाबाद के अन्तर्गत मोदीनगर कृष्णानगर गली नं0-2 में चौधरी देवेन्द्र सिंह के मकान से डा0 राजेन्द्र के मकान तक तथा कृष्णा क्लीनिक के सामने वाली सड़क पर सी0सी0 रोड बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण मोदीनगर कृष्णानगर के निवासी हैं। हमारे ग्राम में चौधरी देवेन्द्र सिंह के मकान से डा0 राजेन्द्र के मकान तक व कृष्णा क्लीनिक के सामने वाली सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। जिसके कारण वहां के लोगों को सड़क मार्ग पर चलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-माल, ग्राम-आंट गढ़ी सौरा में आंट गढ़ी चौराहे से सौरा सम्पर्क मार्ग तक लगभग-900 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-आंट गढ़ी सौरा, विकास खण्ड-माल, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। हमारे ग्राम आंट गढ़ी सौरा में आंट गढ़ी चौराहे से सौरा सम्पर्क मार्ग तक लगभग-900 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। जिससे स्थानीय निवासियों को सड़क मार्ग पर चलने में काफी असुविधा होती है। उक्त कार्य हेतु स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-आंट गढ़ी सौरा में आंट गढ़ी चौराहे से सौरा सम्पर्क मार्ग तक लगभग-900 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,  
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'ढ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-सरोजनीनगर, ग्राम-ऐन में ऐन गांव से बबुरी तक लगभग-800 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-ऐन, विकास खण्ड-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। हमारे ग्राम ऐन से बबुरी तक लगभग-800 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। जिससे स्थानीय निवासियों को सड़क मार्ग पर चलने में काफी असुविधा होती है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त रास्ते का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,  
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'ण'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-कोच के ग्राम पंचायत-कुदारी में श्री केशव राठौर के मकान से सत्ती पुलिया के घर तक लगभग-400 मीटर सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत-कुदारी, विकास खण्ड-कोच, जनपद-जालौन के निवासी हैं। हमारे ग्राम में श्री केशव राठौर के मकान से सत्ती पुलिया के तक सड़क बहुत क्षतिग्रस्त स्थित में है। उक्त कार्य हेतु स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-कुदारी में श्री केशव राठौर के मकान से सत्ती पुलिया तक लगभग-400 मीटर सी0सी0 रोड बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'त'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-ललितपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-महरौनी, ग्राम पंचायत-सिमिरिया में मुकन्दी पटेल के मकान से दुर्गा माता मन्दिर तक लगभग-300 मीटर सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत-सिमिरिया, विकास खण्ड-महरौनी, जनपद-ललितपुर के निवासी हैं। हमारे ग्राम में सिमिरिया में मुकन्दी पटेल के मकान से दुर्गा माता मन्दिर तक लगभग-300 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। जिससे गांव के लोगों को सड़क मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य हेतु स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-सिमिरिया में मुकन्दी पटेल के मकान से दुर्गा माता मन्दिर तक लगभग-300 मीटर सी0सी0 रोड बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,  
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'थ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील-निजामाबाद, ब्लाक-तहबरपुर, ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा (राजस्व गांव-नवली) में 28 एकड़ ताल की जमीन को खाली कराकर जल संरक्षण हेतु पोखरा खुदवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा, ब्लाक-तहबरपुर, तहसील-निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ के निवासी हैं। ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा (राजस्व गांव-नवली) में 28 एकड़ ताल की जमीन को वहां के लोगों ने अभिलेखों में फर्जी प्रविष्ट कराकर काबिज कर लिया है। उक्त के सम्बन्ध में जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा (राजस्व गांव-नवली) में 28 एकड़ ताल की जमीन को खाली कराकर जल संरक्षण हेतु पोखरा खुदवाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,  
09 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----



## नत्थी 'द'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील-निजामाबाद, ब्लाक-तहवरपुर, ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा में 08 एकड़ पोखरा व भीटा की जमीन को अवमुक्त कराकर अमृत सरोवर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा के मूल निवासी हैं। ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा में 4.025 एकड़ पोखरा व 4 एकड़ भीटा की जमीन को वहां के लोगों ने अभिलेखों में फर्जी प्रविष्ट कराकर काबिज कर लिया है। उक्त के सम्बन्ध में जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है ग्राम पंचायत-बरसरा खालसा में 08 एकड़ पोखरा व भीटा की जमीन को अवमुक्त कराकर अमृत सरोवर बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

09 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'ध'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-इटावा के अन्तर्गत मुहल्ला अजीत नगर, वार्ड नं0-1 में श्री अमित कुमार के मकान से लेकर अन्तिम मकान बी0पी0 सिंह के मकान तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण मुहल्ला अजीत नगर, वार्ड नं0-1 के निवासी हैं। हमारे कालोनी में श्री अमित कुमार के मकान से लेकर अन्तिम मकान बी0पी0 सिंह के मकान तक गली में सड़क का

निर्माण नहीं हुआ है। उक्त के सम्बन्ध में जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है मुहल्ला अजीत नगर, वार्ड नं0-1 में श्री अमित कुमार के मकान से लेकर अन्तिम मकान बी0पी0 सिंह के मकान तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

11 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'न'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-इटावा के अन्तर्गत बुद्ध विहार कालोनी में ऊसरा अड्डा रोड से श्री सुशील कुमार के मकान से होते हुये श्री अश्वनी कुमार के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी बुद्ध विहार कालोनी, ऊसरा अड्डा रोड, जनपद-इटावा के निवासी हैं। हमारे कालोनी में श्री सुशील कुमार के मकान से होते हुये श्री अश्वनी कुमार के घर तक सड़क मार्ग कच्चा है। जिससे आम जनता व वहां के निवासियों को सड़क मार्ग पर चलने में काफी असुविधा होती है। उक्त कार्य हेतु स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि बुद्ध विहार कालोनी में ऊसरा अड्डा रोड से श्री सुशील कुमार के मकान से होते हुये श्री अश्वनी कुमार के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

12 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'प'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-मेंहनगर, पोस्ट-दामा, ग्राम-लौदह इमादपुर में पोखरा नम्बर-1568 का सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-लौदह इमादपुर के निवासी हैं। हमारे ग्राम में एक पोखरा है जिसका नम्बर-1568 है। गांव में छठ पूजा मनाने हेतु गांव के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। जिससे गांव के लोगों को काफी असुविधा होती है। गांव में कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर गांव के लोगों को घाट पर जाना पड़ता है। उक्त कार्य हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है ग्राम-लौदह इमादपुर में पोखरा नम्बर-1568 का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'फ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-पलिया, ग्राम पंचायत-नगला में अति पिछड़े क्षेत्र की स्थानीय समस्या के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत-नगला, विकास खण्ड-पलिया, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। हमारा गांव अनुसूचित जनजाति वाले गांवों में आता है। गांवों के विकास हेतु उक्त विकास

योजना को वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति मिली थी किन्तु अभी तक गांवों के विकास हेतु कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण कार्य सुगमतापूर्वक नहीं चल रहा है। गांवों में बरसात के समय पानी अन्दर तक भर जाता है और पानी निकासी की गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे गांव में गम्भीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। उक्त कार्य हेतु स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-नगला में अति पिछड़े क्षेत्र की स्थानीय समस्या के निराकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,  
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----